न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 06 / 2020

महेश उर्फ इतेन्द्रपाल पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट निवासी पार हाल गोपालगढ तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार भरतपुर
2–सुरेश उर्फ सतेन्द्रपाल सिंह पुत्र राम सिह जाति निवासी ग्रांम पार तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 830 दिनांक 26.11.2014 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर बाबत आराजी बाके ग्रांम पार तहसील व जिला भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
1–श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री राजकीय अभिभाषक रेस्पो–1

आदेश **दिनांक 7.4.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 830 तारीखी 26.11.2014 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 830 मुताविक डिक्री एस.डी.ओ.भरतपुर की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की गई है। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण में दर्ज अपना नाम महेश पुत्र रामसिंह के स्थान पर मुताविक निर्णय डिक्री महेश उर्फ इतेन्द्रपाल पुत्र रामसिंह सही दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त सत्यापित फोटो प्रति नामान्तकरण संख्या 830 शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 8.12.2021 को रेस्पो.नम्बर 2 स्वयं उपस्थित आया तथा एक प्रार्थना पत्र अपील स्वीकार किये जाने बाबत पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा उनवानी चन्द्रपाल बनाम सुरेश उर्फ सतेन्द्रपाल सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ चला था। जिसमें अपीलान्ट महेश उर्फ इतेन्द्रपालसिंह भी प्रतिवादी संख्या 2 के रुप में पक्षकार था प्रकरण में दिनांक 18.7.2014 को निर्णय डिक्री कर दिया गया। प्रकरण में कुर्रा रिपोर्ट व निर्णय व डिक्री के अपीलान्ट का नाम महेश उर्फ

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

इतेन्द्रपाल सिंह के रुप में ही अंकित है परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण 830 में अपीलांट का नाम केवल महेश ही अंकित कर दिया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने निर्णय डिक्री के मुताविक महेश उर्फ इतेन्द्रपाल सिह दर्ज नहीं कर केवल महेश दर्ज कर दिया है जो गलत है। अपील स्वीकार की जाकर मुताविक निर्णय डिक्री अपीलान्ट का नाम महेश उर्फ इतेन्द्रपाल सिह दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील देरी से पेश करने के सम्बन्ध में बताया कि दिनांक 20.6.2020 को अपीलान्ट बैंक में एन.ओ.सी. प्राप्त करने गया तब जमीन रहन के सम्बन्ध हल्का पटवारी से बातचीत करने पर पटवारी ने बताया कि तेरा नाम रिकार्ड में केवल महेश अंकित है नाम गलत दर्ज हो गया है, नाम को सही कराने को कहा। तब जाकर प्रार्थी ने नकल वगैरा लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की है। म्याद देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अतः देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर मुताविक निर्णय डिक्री अपीलान्ट का नाम सही दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक पैराकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण एसडीओ भरतपुर के निर्णय डिक्री की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया। इसके विरोध में किसी ने काउन्टर शपथ पत्र या एतराज पेश नहीं किया है, अतः अपील की देरी माफ किया जाकर अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 830 का अवलोकन किया। नामान्तकरण में अंकित नोट से जाहिर कि यह नामान्तकरण एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय डिक्री की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन की अपीलाधीन नामान्तकरण निर्णय डिक्री के मुतातविक दर्ज नहीं किया गया है स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि एस.डी.ओ. की डिक्री दिनांक 21.8.2014 में उल्लेखित इबारत की लाईन नम्बर 7 में "प्रतिवादी संख्या 2. महेश के खाते में .....रहेगें । " अंकित है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 830 में भी तहत न्यायालय ने मुताविक निर्णय डिक्री अपीलान्ट का नाम महेश ही अंकित किया है। तहत न्यायालय ने डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है। जहॉ तक प्रश्न एस. डी.ओ. भरतपुर के निर्णय डिक्री अंकित नाम संशोधन का उसके लिये अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का स्वतन्त्र है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.4.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर